संख्या–245/II–2013–04(02)/2011

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
यमुना कालोनी देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 16 अगस्त, 2013

विषयः– **नाबार्ड RIDF-XVIII के अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति एवं धनावंटन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6687/मुअवि/बजट/बी–1 सामान्य, दिनांक 10.07.2013 के सन्दर्भ में एवं नाबार्ड के पत्र सं0–NBSPD/4696/RIDF-XVIII(Uttarakhand) /131 PSU/2012-13, dt. 31.12.2012, पत्र सं0–NBSPD/4692/RIDF-XVIII(Uttarakhand)/131 PSU/2012-13, dt. 31.12.2012, पत्र सं0–NBSPD/5784/RIDF-XVIII(Uttarakhand)/131 PSU/2012-13, dt. 14.02.2013, एवं पत्र सं0–5962/LOS-15/2012-13, दिनांक 28.02.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **RIDF-XVIII के अन्तर्गत** संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार नलकूप एवं नहर निर्माण की योजनाओं, लागत ₹ 4461.19 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सहित योजनाओं के निर्माण हेतु नाबार्ड के उक्त पत्र दिनांक 28.02.2013 के परिशिष्ट–I **(Annexure-1)** में मोबलाईजेशन अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि ₹ 1271.265 लाख (₹ बारह करोड़ इक्हत्तर लाख छब्बीस हजार पांच सौ मात्र) व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) नलकूप निर्माण की योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यूजर्स ग्रुप अनिवार्य रूप से गठित किये जायें। यूजर्स ग्रुप गठित न किये जाने की दशा में स्वीकृत परियोजनाओं की स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण कार्य की त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वित्त विभाग एवं नाबार्ड को भी उपलब्ध करायी जाय।

(iii) उक्त धनराशि का उपयोग नाबार्ड की गाईड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुए किया जाय।

(iv) निर्माण कार्यों में भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(v) आवश्यकतानुसार भूगर्भ वैज्ञानिक/ज्योलोजिस्ट से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाय।

(vi) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(vii) धनराशि का कोषागार से आहरण वास्तविक आवश्यकता अनुसार ही किया जायेगा।

क्रमशः.....2

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनायें नाबार्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हैं। यदि बिना अनुमोदित योजना पर धनराशि व्यय की जायेगी तो उसके समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा।

(ix) कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

(x) विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर जो धनराशि रखी जा रही है, वह उनके द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(xi) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रतिमाह बी0एम0–10 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय में संलग्नक–2 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत 24–वृहत् निर्माण कार्य में सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–535/XXVII/(1)/13 दिनांक– 08 अगस्त, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त तथा टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित आगणन की छायाप्रति।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या 2405 (1)/ II–2013–04(02)/2011,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
9. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव

संलग्नक–1

शासनादेश संख्या–2465/II–2013–04(02)/2011, दिनांक 16 अगस्त, 2013 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
	नलकूप निर्माण		
1	जनपद नैनीताल के वि0ख0 रामनगर के पर्वतीय क्षेत्र पाटकोट में 01 सं0 राजकीय नलकूप निर्माण की योजना।	112.15	31.962
2	जनपद नैनीताल के वि0ख0 रामनगर में 10 सं0 राजकीय नलकूपों के निर्माण की योजना (मोतीपुर बेलजूडी, बेराझाला, गउजीनी, मदनपुर बोरा, उदयपुर चौपरा, लामपुर लच्छी/लामपुर मोती, सन्तोषपुर/ नारीपुर, बैलपोखडा/चन्द्रापुर, बैलपुरव एवं धनपुर गुसांई)	687.72	195.999
	योग नलकूप निर्माण	**799.87**	**227.961**
	नहर निर्माण		
3	जनपद ऊधमसिंहनगर के जसपुर वि0ख0 में स्थित तुमड़िया जलाशय एवं तुमड़िया प्रसार जलाशयों के पुनरोद्धार, सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजना।	3134.19	893.244
4	जनपद ऊधमसिंहनगर के जसपुर वि0ख0 में दुर्गापुर नहर के पुनःनिर्माण, पुर्नस्थापना एवं पुनरोद्धार की योजना।	483.59	137.652
5	जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग एवं गंगोलीहाट के मध्य फील्ड गूलों के निर्माण की योजना।	43.54	12.408
	योग नहर निर्माण	**3661.32**	**1043.304**
	कुल योग	**4461.19**	**1271.265**

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनुसचिव।

संलग्नक–2

शासनादेश संख्या–2405 / II–2013–04(02)/2011, दिनांक 16 अगस्त, 2013 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	मद का नाम	बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	अनुदान संख्या–20 लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–04 नलकूपों का निर्माण 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0201 नाबार्ड (आरआईडीएफ 8 योजना)–24 वृहत् निर्माण कार्य	6000.00	4503.328	227.961
2	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/ अन्य योजनायें 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0202 नाबार्ड वित्त पोषित नहरों का निर्माण 24 वृहत् निर्माण कार्य	5500.00	2753.02	1043.304
	कुल योग	11500.00	7256.348	1271.265

(₹ बारह करोड़ इक्हत्तर लाख छब्बीस हजार पांच सौ मात्र)

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनुसचिव।